न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या– 619/2023
अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र गोमदराम जाति बावरी निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/10/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 138/140 की कुल 7.9540 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम भागीराम पुत्र गोमदराम दर्ज है जो की गलत है वादी का सही व वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेज भागीरथ पुत्र गोमदराम है। वादी मुताबिक दस्तावेज अपना नाम राजस्व रिकार्ड में भागीरथ पुत्र गोमदराम जाति बावरी निवासी लालपुरा तहसील रावतसर दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी को वर्तमान में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं की सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है गतवर्ष से आजतक राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही दर्ज नही होने से किसी भी सरकारी योजना का लाभ वादीगण को नही मिला है।

वादी ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर देवें जिस पर प्रतिवादी कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 1037 दिनांक 08.08.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागीराम पुत्र गोमदराम दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम भागीरथ पुत्र गोमदराम दर्ज है मुताबिक दस्तावेज वादी का नाम भागीराम पुत्र गोमदराम के स्थ[illegible] किया जाना उचित है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम भागीरथ है जबकि राजस्व रिकार्ड में [illegible] का नाम भागीराम [illegible] दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है [illegible] वादी अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 138/140 की कुल 7.9540 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागीराम पुत्र गोमदराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है के स्थान पर वादीगण अपना नाम भागीरथ पुत्र गोमदराम जाति बावरी निवासी लालपुरा तहसील रावतसर दर्ज करवाना चाहता। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 138/140 की कुल 7.9540 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम भागीराम पुत्र गोमदराम जाति बावरी सा0 देह खातेदार के स्थान पर भागीरथ पुत्र गोमदराम जाति बावरी साकिन लालपुरा तहसील रावतसर के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी भागीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी भागीराम के नाम देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम भागीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या– 619 / 2023
अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र गोमदराम जाति बावरी निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 619 सन 2023 निर्णय दिनांक 18/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 138 / 140 की कुल 7.9540 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम भागीराम पुत्र गोमदराम जाति बावरी सा0 देह खातेदार के स्थान पर भागीरथ पुत्र गोमदराम जाति बावरी साकिन लालपुरा तहसील रावतसर के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी भागीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी भागीराम के नाम देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम भागीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/10/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:39 IST
Reason: SelfAttested